(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

चैनरुप बनाम रतनाराम

किस्म प्रकरण : मुकदमा नं.– 13/2011

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 06/7/14 | वकुलाय उभय P/D रिपोर्ट [illegible] है। [illegible] होकर मिसल पेश: 05/8/2014 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 05/8/14 | वकुलाय उभय [illegible] आदेश की पालना में मिसल पेश: 13/8/2014 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 13/8/14 | वकुलाय उभय P/D रिपोर्ट प्राप्त हुई। [illegible] हाजिर रहे। वकुलाय को P/D पर सुना गया। वकुलाय ने [illegible] P/D बाद की अन्तिम डिक्री [illegible] किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद [illegible] अन्तिम डिक्री किया जाकर P/D प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। [illegible] निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/3297 दिनांक 17-8-2021

Court for 18/8/2021

प्रेषिति :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो० जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव भेजने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके न्यायालय के राजस्व वाद सं० 13/2021 अनुवान चेनरूप बनाम रतनाराम में जारी प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हुआ। इस पत्र के संलग्न रा० वा० सं० 13/2021 में जारी प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सेवामें आवश्यक कार्यवाही बाबत सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू०अ०) जायल

संलग्न - रा० वा० सं० 13/2021 में जारी प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मुताबिक (1)

## मौका रिपोर्ट

### विभाजन प्रस्ताव

मैं आसीलाल मीणा तहसीलदार को जायल - न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के आदेश अनुसार / राजस्व वाद 13/2021 की पालना में कृषि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 05-8-2021 समय 11-00 बजे मौजा ओगड़ आराजी कृषि खसरा 100, 103, 136 वाके ग्राम ओगड़ - पटवार हल्का - रोटू व व भू.अ.नि. कुमोली के साथ मौके पर पहुंचा /

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी जायल में विचाराधीन प्रकरण नं. 13/2021 के सम्बन्ध पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 30-07-2021 द्वारा जारी विभाजन की जानकारी लिखित रूप दी कराई गयी / समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे।

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | आयु | जाति | वादी / प्रतिवादी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनराम | पुत्र रामदीन | 48 | हरीजन | वादी |
| 2 | भगवानराम | S/o रामदीन | 30 | —"— | वादी |
| 3. | रतनाराम | पुत्र जेठाराम | 65 | —"— | प्रतिवादी |

उपस्थित पक्षकार की उपस्थिति में कृषि का मुआयना मौका किया गया / एवम् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 के 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया /

| क्र.सं. | नाम मय वल्दियत व जाति | खसरा | रकबा (हैक्टेयर) | किस्म | हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनराम, भोलाराम, भगवानराम पि. रामदीन जाति हरीजन को दिये | 100 | 3. 0352 | बा. 2 | पूर्वी हिस्सा |
| | | 103 | 1. 7078 | बा. 1 | पूर्वी हिस्सा |
| | | 136 | 1. 1979 | बा. 1 | पूर्वी हिस्सा |
| | | 3 | 5-94-09 | | |
| 2 | रतनाराम S/o जेठाराम जाति हरीजन को दिये | 100 | 3-0351 | बा. 2 | पश्चिमी हिस्सा |
| | | 103 | 1-7077 | बा. 1 | पश्चिमी हिस्सा |
| | | 136 | 1-2059 | बा. 1 | पश्चिमी हिस्सा |
| | | 3 | 5-9487 | | |

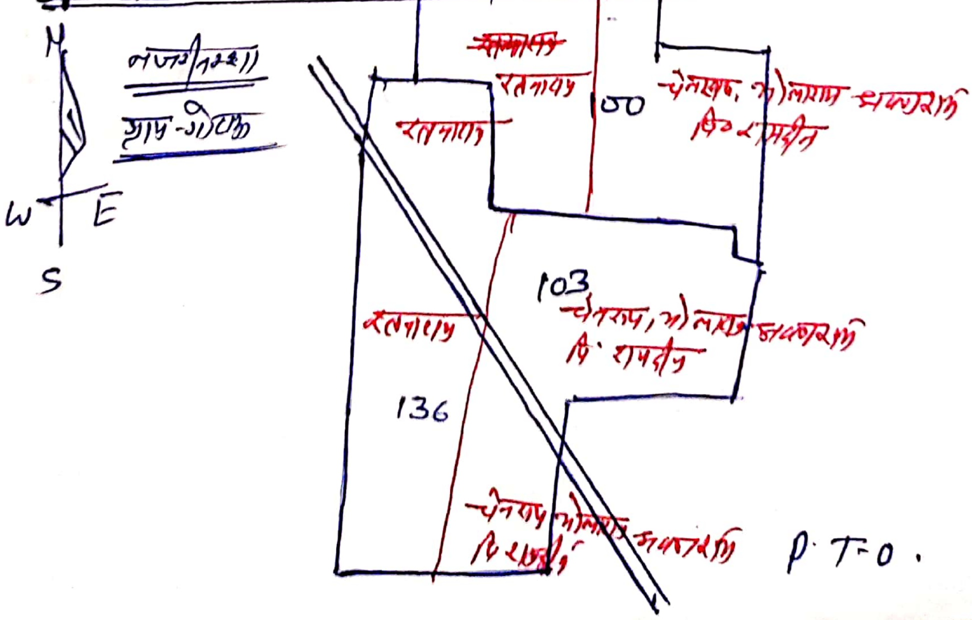


P.T.O.

प्रपत्र 2

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरान के पढ़कर सुनवाये गये।
मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़कर एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये।

| क्र.सं. | नाम पिता/पति का नाम | जाति | निवासी | हस्ताक्षर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चैनाराम S/o रामदीन | हरिजन | ग्राम गोठड़ | चैनाराम | वादी |
| 2 | श्रवणराम S/o रामदीन | हरिजन | -do- | श्रवण राम | वादी |
| 3 | रतनाराम S/o जेठाराम | हरिजन | -do- | रतनाराम | प्रतिवादी |

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़कर समझकर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

Nil

मौके पर अन्य मौतबिरान को उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर व सुनवाकर हस्ताक्षर करवाये।

1 किशनाराम S/o जेठाराम मेघवाल — अं.नि. किशनाराम

इस प्रकार आज दिनांक 05-08-2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

5-8-2021
जगदीश प्रसाद यादव
पटवारी ...

परसाराम मेहरा
निरीक्षक (भू.अ.) वृत्त ...
तहसील जायल (नागौर)
05-08-2021

तहसीलदार जायल
तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 13/2011
चैनरूप वगैरह बनाम् रतनाराम

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :13/2011

**वादीगण–**

1. चेनरूप
2. भोलाराम
3. श्रवण पुत्रगण रामदीन

जातियान– हरिजन निवासीगण–गौराउ,तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. रतनाराम पुत्र जेठाराम

   जाति–हरीजन निवासी–गौराउ, तहसील जायल (नागौर)

2. तहसीलदार जायल

**उपस्थिति :–**

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री हरीश पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
4. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय** **दिनांक :** 17/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा गौराउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 100 रकबा 37.10 बीघा, खेत खसरा नं. 103 रकबा 21.02 बीघा, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 14.17 बीघा रहती चली आई है। वादीगण के पिता रामदीन के फौत हो चुके है। वाद पत्र अनुसार रामदीन ने एक वसीयत दिनांक 12.09.2001 को 20 रूपये के स्टाम्प पर वादीगण के पक्ष में खेत खं.नं 100 रकबा 37.10 बीघा,खेत खं.नं 103 रकबा 21.02 बीघा, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 14.17 बीघा कुल रकबा 73.09 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सें की नोटेरी तस्दीक कर करवाई थी। तथा इस कुल 73.09 बीघा में से 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का था। कुल भूमि 73.09 बीघा के 1/2 हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अभी बंटवाड़ा भी नहीं



17/8/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस भूमि को बेचने पर उतारू है जिससे कि बेचान न कर सके तथा वादीगण द्वारा तीनों खेताय की कुल भूमि के 1/2 भाग की घोषणा खातेदारी हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से इस्तदुआ फरमावें कि मौजा गोराउ का खेत खसरा संख्या 100 रकबा 37.10 बीघा,खेत खं.नं 103 रकबा 21.02 बीघा, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 14.17 बीघा कुल रकबा 73.09 बीघा भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी में घोषित कि जावे तथा माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश पारीक ने दिनांक 19.03.2013 को जबाब दावा में कांउटर क्लेम पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई। वकील वादी द्वारा जबाबुल जबाब पेश नहीं किये जाने का के कारण प्रकरण में दिनांक 01.02.2019 को विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) कायम की गई तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 07.07.2020 को वकुलाय द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनाम होने तथा राजीनामा पेश करने में समय चाहे जाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 21.07.2020 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा व ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काज ने की। राजीनाम/ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह चेनरूप पुत्र रामदीन , प्रतिवादी रतनाराम पुत्र जेठाराम के पेश हुये शपथ पत्र तस्दीकशुदा शामिल पत्रावली किये गए। साथ नकल जमाबन्दी ग्राम गौराउ तहसील–जायल सम्वत् 2063–2067 खाता संख्या 429 प्रदर्श–1 किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा व ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा व ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक अनुसार स्वीकार किया जाने व वादीगण के सामलाती हक बंट में खेत खं.नं 100 रकबा 37.10 बीघा में से 18.15 बीघा पूर्वी भाग ,खेत खं.नं 103 रकबा 21.02 बीघा में से 11.11 बीघा पूर्वी भाग, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 14.17 बीघा में से 7.08 बीघा पूर्वी भाग रखे जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में खेत खं.नं

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

100 रकबा 37.10 बीघा में से 18.15 बीघा पश्चिमी भाग ,खेत खं.नं 103 रकबा 21.02 बीघा में से 11.11 बीघा पश्चिमी भाग, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 14.17 बीघा में से 7.09 बीघा पश्चिमी भाग रखे जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा/ईकबाली जवाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.07.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें/ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा/ईकबाली जबाब दिनांक 21.07.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक वाद पत्र अनुसार कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा गौराउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मुतदाविया खसरा 100,103,136 का माफिक राजीनामा/ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 100,103,136 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हमने वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 31.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 31.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3297 दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी चेनरूप,श्रवणराम,रतनाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि किशनराम पुत्र जेठाराम एवं पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। इसलिये मौजा गौराउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 100,103,136 में वादीगण संख्या 1 से 3 को 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 में साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

**— : : आदेश : : —**

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गौराउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 100,136,103 में वादीगण को 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 में सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3297 दिनांक 17. 08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 से 3 चेनरूप, भोलाराम,श्रवणराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खं.नं 100 रकबा 3.0352 हैक्टेयर पूर्वी भाग ,खेत खं.नं 103 रकबा 1.7078 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 1.1979 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के रतनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 100 रकबा 3.0351 हैक्टेयर पश्चिमी भाग ,खेत खं.नं 103 रकबा 1.7077 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 1.2059 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

17/8/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल



Scanned with CamScanner

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)**
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 13/2011

**वादीगण–**

1. चेनरूप
2. भोलाराम
3. श्रवण पुत्रगण रामदीन

जातियान– हरिजन निवासीगण–गौराउ,तहसील जायल (नागौर)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण –**

1. रतनाराम पुत्र जेठाराम
   जाति–हरीजन निवासी–गौराउ, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

**उपस्थिति :–**

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री हरीश पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
4. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गौराउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 100,136,103 में वादीगण को 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 में सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3297 दिनांक 17.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 से 3 चेनरूप, भोलाराम,श्रवणराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खं.नं 100 रकबा 3.0352 हैक्टेयर पूर्वी भाग ,खेत खं.नं 103 रकबा 1.7078 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 1.1979 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.), जायल *

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 के रतनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 100 रकबा 3.0351 हैक्टेयर पश्चिमी भाग ,खेत खं.नं 103 रकबा 1.7077 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खेत खसरा नंबर 136 रकबा 1.2059 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

**तीज** – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .................................. को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)



Scanned with CamScanner